न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 18/21 GCMS NO 2021/129

1. गोपाली पुत्र किशोरी जाति मीना निवासी सिंघनियां तहसील टोडाभीम जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. श्यामलाल पुत्र जोधा
2. रामजीत
3. सुमरन
4. भुवनेश पिसरान श्यामलाल जातियान मीना निवासीयान सिंघानियां तहसील टोडाभीम जिला करौली

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 35/20 निर्णय दिनांक 26.2.21 न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम)

अभिभाषक अपीला0 श्री सुनिल जिन्दल

अभिभाषक रैस्पो0 श्री मनोज शर्मा

दिनांक 26.5.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 26.2.21 न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय मे सायल/अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि ग्राम सिंघनियां की आराजी खसरा न0 396/0.24,159/0.13,867/0.88, 868/1.12, 869/1.73 कुल किता 5 कुल रकबा 4.10 है0 मे सायल वहिस्सा 1/2 तथा रामजीलाल पुत्र किशोरी बहिस्सा 1/2 का राजस्व रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। रामजीलाल पुत्र किशोरी फौत हो चुका है। सायल के अपने 1/2 हिस्से मे बाहमी बंटवारे मे ख0न0 396 व अन्य आराजी आई है जिन पर सायल काबिज है तथा काश्त करता चला आ रहा है । उक्त आराजी पर सायल के अलावा अन्य किसी व्यक्ति का कोई संबंध नही है। गैरसायलान लठैत तथा गिरोहबंद व्यक्ति है। जिन्होने एक गिरोह गठित कर रखा है जो सायल को परेशान कर जमीन जायदाद को हडपना चाहते है। दिनांक 19.7.20 को सायल अपनी आराजी मे खडी बाजरे की फसल की देखभाल कर रहा था तो गैरसायल एक राय होकर आये और कहने लगे कि ख0न0 396 आबादी के नजदीक है हमारे पास आबादी की जमीन कम है । इसलिए कुछ चाहिए तो हमसे ले लो तथा उक्त आराजी को विक्रय कर दो। इस पर सायल ने समझाया परन्तु नही माने और कहने लगे कि तुम्हे गांव से भगा देगे। इस प्रकार गैरसायलान अपनी कुचेष्टा मे कामयाब हो गये [illegible] की आराजी से सायल को बेदखल कर कब्जा कर लिया तथा उसमे [illegible] गैरसायलान की अपूर्णनीय क्षति होगी। प्राईमाफेसी केस सायल के पक्ष मे है। सुविधा का [illegible] सायल के पक्ष मे है। अस्थाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:52:17 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

निषेधाज्ञा जारी होने से गैरसायलान को कोई क्षति नही होगी। अतः गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला दावा इस अगर से पाबन्द फरमाया जावे कि आराजी खसरा न0 396/0.24,159/0.13,867/0.88, 868/1.12, 869/1.73 कुल किता 5 कुल रकबा 4.10 है0 ग्राम सिंघनियां मे सायल के हिस्से मे मज़ाहमत मदालखत नही करे उसमे कोई निर्माण नही करे आराजी को बेदखल कर स्वयं कब्जा नही करे व आराजी को खुर्द बुर्द नही करे ना ही किसी अन्य से करावे तथा मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से अपीलांट/सायल द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सायल/अपीलांट का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/सायल द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्याायलय द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्व एवं रूयेदाद मिसल होने से निरस्त योग्य है। आराजी ख0न0 आराजी खसरा न0 396/0.24,159/0.13,867/0.88, 868/1.12, 869/1.73 कुल किता 5 कुल रकबा 4.10 है0 वाके ग्राम सिंघनियां तहसील टोडाभीम मे स्थित है उक्त आराजी मे अपीलांट/सायल वहिस्सा 1/2 का खातेदार काश्तकार है तथा 1/2 का अन्य सहखातेदार काश्तकार है। उक्त ख0न0 396 रकबा 0.24 है0 बाहमी बंटवारे मे अपीलांट/सायल के हिस्से मे आई है। जिससे रेस्पो/गैरसायल का कोई संबंध किसी प्रकार का नही है। गैरसायलान/रेस्पो0 लठैत गिरोहबंद व्यक्ति है जिन्होने एक गिरोह बना रखा है जो अपीलांट को हेरान परेशान कर उसकी जमीन जायदाद को हडप करना चाहते है तथा रेस्पो0 गैरसाग्रलान ने दिनांक 19.7.20 को जबरदस्ती विक्रय करने तथा कब्जा करने की अपीलांट को धमकी दी गई। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय मे पेश किया गया। जिस पर सुनवाई के बाद बिना विधि अनुसार निर्णय पारित कर अपीलांट/सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। जिसके विरूद्व अपील प्रस्तुत की गई है। अदालत मातहत ने इस बिन्दु पर गौर नही किया कि ख0न0 396 रकबा 0.24 है0 अपीलांट/सायल की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज कर कानूनी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे पारित किया कि रेस्पो/गैरसायलान द्वारा सायल/अपीलांट के खिलाफ़ स्पेसिफिक परफोरमेंस का सूट सिविल न्यायालय मे प्रस्तुत कर रखा है उसके बाबजूद भी सायल/अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाकर कानूनी भूल की है। अदालत मातहत ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आधार मानकर निर्णय पारित कर कानूनी भूल की है। उक्त नबंरान का अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तरिम स्थगन [illegible] ख0न0 पर निर्माण नही करने हेतु गैरसायलान /रेस्पो0 को पाबन्द भी किया [illegible] था। इसके बाबजूद प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज कर कानूनी भूल की है। अधिनस्थ [illegible] का निर्णय विधि विरूद्व इन प्रोपर है इसलिए निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर (राज.) सत्यमेव जयते
Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:32:17 IST
Reason: SelfAttested

अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमाया जावे एवं रेस्पो/गैरसायलान को आराजी खसरा न0 396/0.24,159/0.13,867/0.88, 868/1.12, 869/1.73 कुल किता 5 कुल रकबा 4.10 है0 वाके ग्राम सिंघानियां तहसील टोडाभीम जिला करौली सायल के हिस्से व कब्जे काश्त मे मजाहमत मदालखत नही करे, सायल को बेदखल कर कब्जा नही करे तथा निर्माण नही करे एवं आराजी को खुर्द बुर्द नही करे तथा आराजी को नाकाबिल काश्त नही बनावे ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करे ना ही अन्य किसी से करावे जिससे हक हकूक सायल पर विपरीत प्रभाव पडे। मौके एवं रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाई रखी जावे।

रेस्पो0 ने अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कथन किया कि आराजी खसरा न0 396/0.24,159/0.13,867/0.88, 868/1.12, 869/1.73 कुल किता 5 कुल रकबा 4.10 है0 ग्राम सिंघानियां मे स्थित है। आराजी खसरा न0 396 रकबा 0.24 है0 की खातेदारी अपीलांट/सायल व उसके भाई रामजीलाल के नाम गलत दर्ज है। सायल गोपाली पुत्र किशोरी व उसके खास भाई रामजीलाल ने भूमि खसरा न0 396 को रेस्पो/गैरसायल श्यामलाल को 2 लाख 25 हजार रूपये मे दिनांक 23.5.08 को बेचान कर दी जिसकी 100/–रूपये के स्टाम्प पर लिखावट दिनांक 23.5.18 को कर दी है। जिस पर रामजीलाल व गौपाली के फोटो व हस्ताक्षर है तथा राशि प्राप्त कर ली है। उसी समय गैरसायल/रेस्पो0 श्यामलाल को मौके पर कब्जा संभलवा दिया गया तथा उसके समस्त अधिकार श्यामलाल को दे दिये गये। उक्त भूमि को कय दिनांक से रेस्पो0 श्यामलाल काश्त कर रहा है। इस प्रकार ख0न0 396 के सम्पूर्ण रकबे का मालिक रेस्पो0श्यामलाल है तथा स्वामित्व की आराजी है तथा काबिज है। रेस्पो0 की उक्त आराजी के पश्चिम दिशा में आम रास्ता है जिसकी तरफ रेस्पो0 द्वारा पुख्ता बाउन्ड्रीबाल कराई गई है तथा तीनो दिशाओ मे तारबंदी करवा रखी है। भूमि मे पानी की टंकी व शौचालय है तथा रिहायशी परिसर का निर्माण करवाया हुआ है। रामजीलाल पुत्र किशोरी फौत हो गया है। इस प्रकार अपीलांट व उसके भाई के वारिसान का इस भूमि पर कोई संबंध नही है। ना ही खातेदार है। अपीलांट का प्राईमाफेसी केस साबित नही है ना ही सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष मे है। ना ही उनको किसी प्रकार की कोई क्षति है। इन तीनो बिन्दुओ को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के पक्ष मे साबित नही माना है। विवादित आराजीयात के बाबत रेस्पो0 श्यामलाल द्वारा सिविल न्यायालय टोडाभीम मे स्पेसिफिक परफोर्मेंस एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया हुआ है तथा अपीलांट गोपाली द्वारा भी सिविल न्यायालय मे स्थाई निषेधाज्ञा के दावे के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा है। जो विचाराधीन है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण विवेचन के उपरान्त ही अपीलाट/सायल का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा विधि के सिद्वान्तो के अनुरूप ही खारिज किया गया है। अतःअपीलांट की अपील खारिज योग्य है जो खारिज फरमाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:52:17 IST
Reason: SelfAttested

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया व अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि आराजी खसरा न0 396 रकबा 0.24 है0 को अपीलांट गोपाली व रामजीलाल द्वारा जरिये इकरारनामा दिनांक 23.5.08 को प्रतिफल प्राप्त की जाकर रेस्पो/श्यामलाल को बेचान किया गया है। जिस पर रेस्पो0/श्यामलाल का कब्जा

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

होने का सबसे बड़ा प्रमाण पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट से होता है जिसके अनुसार उक्त आराजीयात पर रेस्पो0 श्यामलाल द्वारा दो कमरो का निर्माण किया होना एवं टीनशेड एंवं शौचालय का निर्माण होना है जिसके सर्मथन मे फोटो ग्राफस रेस्पो/श्यामलाल द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किये है जो पत्रावली मे उपलब्ध है। इकरारनामा दिनांक 23.5.08 के अनुसार विवादित आराजीयात को अपीलांट गौपाली व उसके भाई रामजीलाल द्वारा प्रतिफल की राशि 2 लाख 25 हजार प्राप्त की जाकर बेचान किया गया है उक्त इकरारनामा नोटरी पब्लिक से तस्दीक हुआ है। विवादित आराज़ीयात के बाबत रेस्पो0 श्यामलाल द्वारा सिविल न्यायालय टोडाभीम के यहॉ स्पेशिफिक परफोरमेन्स एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया हुआ है साथ ही अपीलांट गोपाली द्वारा भी सिविल न्यायालय टोडाभीम मे स्थाई निषेधाज्ञा के दावे के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हुआ है। जिसका उल्लेख अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे स्पष्ट रूप से किया गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से प्रार्थना पत्र के तीनो बिन्दुओ प्राईमाफेसी केस,सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति का विवेचन किये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने से उसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होने से अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

अतःअपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम के प्रकरण संख्या 35/20 मे पारित निर्णय दिनांक 26.2.21 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 26.5.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:52:17 IST
Reason: SelfAttested